# न्यायालय जिला कलेक्टर (आर्बिट्रेटर) सवाई माधोपुर

वर्ष 2021

प्रा.पत्र. (आर्बिट्रेशन) संख्या 30/21

GCMS No- 2021/154

बउनवानीः– 1. हरकेश पुत्र मथुरालाल मीना निवासी डेकवा तहसील व जिला सवाईमाधोपुर
2. सुरेश पुत्र मथुरालाल मीना निवासी डेकवा तहसील व जिला सवाईमाधोपुर
3. श्योजीराम पुत्र मथुरालाल मीना निवासी डेकवा तहसील व जिला सवाईमाधोपुर
4. मुकेश पुत्र मथुरालाल मीना निवासी डेकवा तहसील व जिला सवाईमाधोपुर
5. बाबूडी पुत्री मथुरालाल मीना निवासी डेकवा तहसील व जिला सवाईमाधोपुर
6. प्रेम पत्नि रामलाल मीना निवासी डेकवा तहसील व जिला सवाईमाधोपुर
7. सम्मपत्ति पत्नि रामकेश मीना निवासी डेकवा तहसील व जिला सवाईमाधोपुर
8. आरती पुत्री रामकेश मीना निवासी डेकवा ना.बा.जरिये माता सम्पत्ति देवी
9. ज्योति पुत्री रामकेश मीना निवासी डेकवा तहसील व जिला सवाईमाधोपुर ना.बा. जरिये माता सम्पत्ति देवी

**बनाम**

1. सक्षम प्राधिकारी(भूमि अवाप्ति) एवं अतिरिक्त जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर
2. भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण जरिये परियोजना निदेशक परियोजना क्रियान्वयन, सवाईमाधोपुर, ए–45–46 तिरपति बिहार ब्लॉक ई छत्रपुरा बूंदी, हाल सवाईमाधोपुर
3. चन्द्रराज पुत्र भवंरलाल जाति मीना निवासी ग्राम डेकवा तहसील सवाईमाधोपुर
4. कन्हैयालाल पुत्र भवंरलाल जाति मीना निवासी डेकवा तहसील सवाईमाधोपुर

( मध्यस्थ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 3 जी(5) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम,1956 विरूद्व नोटिस कमांक भूमि अवाप्ति/पीए/भू0अवा./2021/839 दिनांक 1.3.2021 खसरा नम्बर 3819 रकबा 0.16 है0 3820 रकबा 0.18 वाके ग्राम डेकवा पर लगे हुए अमरूद्व, बबूल,नीम,करूंजा,नीबू के पेडो का मुआवजा देने बाबत ।

उपस्थितः–1. श्री भोलाशंकर शर्मा — वकील प्रार्थी
2. श्री अशोक शर्मा — वकील अप्रार्थी 2
3. श्री सत्येन्द्र कुमार गोयल — वकील अप्रार्थी 3,4

**–: निर्णय :–** **दिनांकः– 28.7.2022**

प्रार्थीगण द्वारा यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 3 जी(5) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम,1956 विरूद्व के अन्तर्गत इस न्यायालय में प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि भूमि अवाप्ति अधिकारी अति0जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर द्वारा प्रार्थी की भूमि एन.एच.148 के निर्माण हेतु प्रार्थी की अवाप्त खातेदारी भूमि ख0न0 3819 रकबा 0.16 है0 व 3820 रकबा 0.18 है0 भूमि पर उगे हुए अमरूद्व, बबूल,नीम,करूंजा,नीबू के पेडो का मुआवजा बाबत नोटिस कमांक भूमि अवाप्ति/पीए/भू0अवा./2021/839 दिनांक 1.3.2021 को प्रार्थी के स्थान पर अन्य व्यक्ति को देने से पारित अवार्ड विधि विरूद्व व वास्तविक तथ्यों के विपरीत होने के कारण उक्त अवार्ड को निरस्त करवाने बाबत इस न्यायालय में प्रस्तुत किया है।

प्रार्थना प्रस्तुत पत्र होने पर न्यायालय [illegible] जिस्टर किया जाकर अदालत मातहत का मूल अभिलेख अवलोकन हेतु तलब [illegible] साथ ही विपक्षीगणों की भी तलवी जरिये नोटिस की गयी। तत्पश्चात [illegible] बहस वकील उभय [illegible] सुनी गयी।

वकील प्रार्थी ने दौराने [illegible] कथन किया कि राष्ट्रीय राजमार्ग [illegible] 148 एन.के. (दिल्ली–बडौदरा एक्सप्रेस वे के 236 से 304 किमी [illegible] के लिए केन्द्रीय स[illegible] के सड़क

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Ola
Date: 2023.03.17 17:29:40 IST
Reason: SelfAttested



(सुरेश कुमार ओला)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या क.अ. 2306 (अ)दिनांक 6.6.2018 द्वारा अतिरिक्त जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर को भूमि अवाप्ति अधिकारी के रूप में प्राधिकृत किया गया था। दिनांक 4.1.2019 को धारा 3डी राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम के अन्तर्गत एक अधिसूचना जारी की गयी जिसके द्वारा प्रार्थीगण की भूमि ख0न0 3819 रकबा 0.16 है0 एवं 3820 रकबा 0.18 है0 वाके ग्राम डेकवा का भी अधिग्रहण किया गया। उक्त भूमि प्रार्थीगण की खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि है जिसमे प्रार्थीगण 1 लगायत 5 व 7 लगायत 9 का 1/2 हिस्सा नियत है व प्रेम पत्नि रामलाल का 1/2 हिस्सा नियत है। उक्त भूमि प्रार्थीगण के बुजुर्ग मथुरालाल व रामलाल के कब्जे व खातेदारी मे दर्ज रही है। उक्त दोनो की मृत्यु हो चुकी है तथा प्रार्थीगण उनके विधिक वारिसान है। उक्त आराजी की अवाप्ति बाबत प्रार्थीगण को दिनांक 1.3.2021 को नोटिस मिल जिसमे भूमि अवाप्ति की राशि दिये जाने बाबत अप्रार्थी संख्या 1 व 2 द्वारा लिखा गया है किन्तु उक्त आराजीयात ख0न0 3819 मे 4 पेड नीम के, 2 पेड बबूल के , 60 पेड अमरूद के 8 वर्ष पुराने है तथा 2 पेड नींबू के, 1 पेड करूंजा जिनकी उम्र 15 वर्ष है मौके पर सरसब्ज खडे थे तथा ख0न0 3820 मे 60 पेड अमरूद्व के एवं 1 पेड नींबू के जिनकी उम्र 8 वर्ष है सरसब्ज खडे है जिनको प्रार्थीगण द्वारा लगाया गया है उक्त पेडो से अन्य किसी व्यक्ति का कोई ताल्लुक व वास्ता नही है। किन्तु अप्रार्थी संख्या 3 व 4 से मिलकर अप्रार्थी संख्या 1 व 2 ने ख0न0 3819 व 3820 मे लगे हुए पेडो की उम्र कम करते हुए उक्त पेडो की मुआवजा राशि विपक्षी संख्या 3 व 4 को देने हेतु नोटिस जारी कर दिये है जो विधि विरूद्व है व अपास्त होने योग्य है। उक्त संबंध में प्रार्थीगण द्वारा पूर्व मे अप्रार्थी संख्या 1 व 2 को अपनी आपत्ति मय दस्तावेज के दर्ज करवायी गयी थी लेकिन प्रार्थीगण की आपत्ति पर कोई सुनवायी नही की गयी है। अतः ख0न0 3819 व 3820 पर लगे हुए पेडो का मुआवजा प्रार्थीगण को दिलवाये जाने बाबत वकील प्रार्थीगण द्वारा दौराने बहस निवेदन किया गया।

विद्वान वकील अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा दौराने बहस कथन किया कि केन्द्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम के प्रावधान के अनुसार सवाईमाधोपुर जिलें मे ए.एच.148एन के कि.मी. 236 से कि.मी.304.4 तक के भूखण्ड के निर्माण (चौडीकरण/पेव्ड शोल्डर सहित 2–लेन/4–लेन का बनाना आदि) अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचलन के लोक प्रयोजन के लिये भूमि अवाप्ति की कार्यवाही हेतु अवाप्ति अधिकारी अतिरिक्त जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर को राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम,1956 की धारा 3 के खण्ड (क) के अन्तर्गत सड़क एवं परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ.2306(अ) दिनांक 5.6.2018 द्वारा नियुक्त किया गया है तत्पश्चात राजमार्ग के प्रावधान 3(ए) की अधिसूचना दिनांक 21.8.2018 को अधिसूचना जारी की गयी जिसका प्रकाशन भारत के राजपत्र में दिनांक 23.8.2028 को प्रकाशित किया गया। दो समाचार पत्र ''दैनिक भास्कर ''एवं ''राजस्थान पत्रिका ''में दिनांक 8.9.2018 को किया गया। [illegible] के नोटिफिकेशन जारी होने के 21 दिन के अन्दर अपनी आपत्ति की सुनवायी सक्षम अधिकारी कर सकाता है। जिसके परिप्रेक्ष्य मे जो आपत्तियॉ प्रस्तुत की गयी उनका धारा [illegible] के तहत सक्षम प्राधिकारी द्वारा निस्तारण किया जाता है। उसके पश्चात सक्षम प्राधिकारी द्वारा [illegible] उपधारा 1 के अन्तर्गत

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Ola
Date: 2023.03.17 17:29:40 IST
Reason: SelfAttested

.......(2).......

(सुरेश कुमार ओला)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

अवाप्त की जाने वाली भूमि की अधिसूचना जारी करने हेतु रिपोर्ट भेजी गयी जिसके आधार पर दिनांक 4.1.2019 को धारा 3(डी) की अधिसूचना जारी की गयी जिसमे अवाप्त भूमि की *किस्म चाही–1* दर्ज करते हुए स्वामित्वधारी का उल्लेख किया गया। इस अधिसूचना के राजपत्र मे दिनांक 7.1.2019 को प्रकाशन पर उक्त अनुसूचि मे विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमो से मुक्त होकर आत्यान्तिक रूप से केन्द्र सरकार मे निहित हो जावेगी। अधिसूचना जारी कर प्राप्त आपत्तियों का निस्तारण कर दिनांक 12.6.2019 को अवार्ड पारित कर दिया गया है। उक्त अवार्ड राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम,1956 की धारा–3ए की अधिसूचना से तीन वर्ष पूर्व में सम्पादित विक्रय विलेखो की संख्या के अधिकतम दर के आधे विक्रय पत्रों की औसत दर एवं प्रत्येक ग्राम मी डीएलसी दर का संज्ञान लेते हुए बाजार मूल्य निर्धारित किये गये है प्रार्थीगण की अवाप्त भूमि का अवार्ड उनके पक्ष मे जारी किया जा चुका है परन्तु भूमि ख0न0 3819 व 3820 ग्राम डेकवा पर उगे हुए पौधो के संबंध में हितबद्व व्यक्ति अप्रार्थी संख्या 3 चन्द्रराज व 4 कन्हैयालाल व पुत्र भवंर लाल मीना के नाम जारी किया गया है जिसके किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नही है। अतः प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत उक्त आर्बिट्रेशन प्रार्थना पत्र तथ्यहीन होने के कारण खारिज फरमाये जाने बाबत वकील अप्रार्थीगण द्वारा निवेदन किया।

विद्वान वकील अप्रार्थी संख्या 3 व 4 द्वारा दौराने बहस कथन किया कि ख0न0 3819 व 3820 वाके ग्राम डेहकवा पर प्रार्थीगण का कभी कब्जा काश्त नही रहा है उक्त भूमि हम अप्रार्थी संख्या 3 व 4 एवं हमारे पूर्वज भवंरलाल के कब्जे काश्त की भूमि रही है। यह तर्क भी दिया कि मथुरालाल व रामलाल के पिता जयनारायण द्वारा उक्त भूमि को दिनांक 10.5.1980 को एक्सचेंज कर अप्रार्थीगण के पिता भवंरलाल को दे चुका है तथा प्रार्थना पत्र के मद संख्या 3 मे यह कहना गलत है कि ख0न0 3819 व 3820 मे अमरूदो, नीबू, बबूल,नीम के पेड प्रार्थीगण द्वारा लगाये गये है। क्योकि उक्त आराजीयात पर प्रार्थीगण का कब्जा ही नही है तो पेड कैसे लगा सकते है। ख0न0 3819 पर अप्रार्थी कन्हेयालाल एवं ख0न0 3820 पर अप्रार्थी चन्द्रराज द्वारा अमरूद, नींबू,नीम, बबूल वगै. के पेड लगाये गये है तथा अवाप्ति से पूर्व अप्रार्थी संख्या 3 व 4 ही उक्त पेडो की देखभाल कर लाभ प्राप्त करते आ रहे है इसलिए अप्रार्थी संख्या 1 व 2 द्वारा विधिवत कार्यवाही कर हम अप्रार्थीगण संख्या 3 व 4 के नाम उक्त भूमि पर लगे हुए पेडो का अवार्ड जारी किया गया है जो सही है। तहसीलदार सवाईमाधोपुर द्वारा अपने पत्र क्रमांक एलआर/22/5520 दिनांक 11.7.2022 से उपजिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर को भिजवायी गयी रिपोर्ट मे भी उक्त ख0न0 3819 व 3820 का भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग के अधिकारियों को तहसीलदार, आईएलआर, पटवारी के समक्ष हम अप्रार्थीगण संख्या 3 व 4 द्वारा कब्जा दिया जाना बताया गया है तथा एन.एच.ए.आई के अधिकारियों द्वारा भी उक्त ख0न0 3819 पर 60 पेड अमरूद,2 पेड नींबू , 1 पेड करूंजा, 3 पेड बबूल एवं 4 पेड नीम के होना बताया जाकर उक्त पेडो को दिनांक 8.7.2021 को पुलिस जाप्ता की मदद से कन्हैयालाल के कब्जे से लेकर नष्ट करना बताया गया है ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Ola
Date: 2023.03.17 17:29:40 IST
Reason: SelfAttested

.......(2).......

(सुरेश कुमार ओला)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर